श्री महानंद सिंह, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं०–17/14/428 से उद्भूत आश्वासन सं०–113/25 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	सरकारी आश्वासन	कार्यान्वयन प्रतिवेदन
क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– क्या यह बात सही है कि पटना मुख्य सोन नहर के शमशेर नगर (दाउदनगर) से निकलने वाला रजवाहा अमरा व सैदपुर में 180 क्यूसेक पानी क्षमता के विरूद्ध महज 140 क्यूसेक पानी छोड़ने पर ही शमशेर नगर से 2 किलोमीटर तक नहर का एक किनारा टूट जाता है, जिसके कारण सैदपुर अमरा रजवाहा में अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंच पाता है, यदि हाँ, तो सरकार सैदपुर/अमरा रजवाहा के कमजोर किनारा यानी दो किलोमीटर तक को कबतक पक्कीकरण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों?	वस्तुस्थिति यह है कि:– • सोन नहर प्रणाली अंतर्गत अमरा वितरणी एवं इससे निःसृत सैदपुर उपवितरणी का रूपांकित जलश्राव क्रमशः 180 घनसेक एवं 60 घनसेक है। खरीफ वर्ष 2024 के पूर्व हर खेत तक सिंचाई का पानी कार्यक्रम के तहत अमरा वितरणी एवं सैदपुर उपवितरणी में पुनर्स्थापन कार्य कराया गया है तथा इन नहरों में रूपांकित जलश्राव प्रवाहित कराकर अंतिम छोर तक सिंचाई सुविधा मुहैया करायी गयी है। वर्ष 2024 में प्रश्नगत नहरों में कोई टूटान नहीं हुआ है। • वर्तमान में अमरा वितरणी एवं सैदपुर उपवितरणी में पक्कीकरण की कोई योजना विचाराधीन नहीं है। खरीफ वर्ष 2025 में इन नहरों में आवश्यकतानुसार सम्पोषण कार्य कराते हुए अंतिम छोर तक सिंचाई सुविधा दी जाएगी।	वस्तुस्थिती यह है कि :– वित्तीय वर्ष 2025–26 में अमरा वितरणी के कि०मी० 1.10 से कि०मी० 1.50, कि०मी० 7.30 से कि०मी० 7.80 एवं कि०मी० 11.50 से कि०मी० 11.80 के बीच नहर की बेड सफाई का कार्य कराया गया है तथा सैदपुर उपवितरणी के कि०मी० 0.05 से कि०मी० 0.85 के मध्य नहर की बेड सफाई एवं नहर बाँध की मरम्मति का कार्य कराकर नहर के अंतिम छोर तक सिंचाई सुविधा मुहैया करायी गयी है। वर्तमान में अमरा वितरणी एवं सैदपुर उपवितरणी का पक्कीकरण कराने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक :– 26 / वि0स0–03–05 / 2025 पटना / दिनांक :........................

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना का पत्रांक–1081 दिनांक–16.06.2025 के आलोक में तारांकित प्रश्न सं0–17 / 14 / 428 से उदभूत् आश्वासन सं0–113 / 25 का अनुमोदित उत्तर प्रतिवेदन पाँच प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

(अनिल कुमार पाण्डेय)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :– 26 / वि0स0–03–05 / 2025 पटना / दिनांक :........................

प्रतिलिपिः– उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

(अनिल कुमार पाण्डेय)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :– 26 / वि0स0–03–05 / 2025 पटना / दिनांक :........................

प्रतिलिपिः– अधीक्षण अभियंता, यो0 एवं मो0 अंचल–03, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

(अनिल कुमार पाण्डेय)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :– 26 / वि0स0–03–05 / 2025 3534 पटना / दिनांक : 25/6/25

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रभारी प्रशाखा–17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना एवं कार्यपालक अभियंता, आई0टी0 सेन्टर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/6/25

(अनिल कुमार पाण्डेय)

सरकार के उप सचिव